सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं.RCMS2019/00011

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 03/2019

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री हरीशचन्द पुत्र श्री सतपाल सिंधी (नमूना विकेता)
   मै0 हरीशचंद दलीप कुमार, 6–तहबाजारी, जेतसर तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर
   निवासी– वार्ड नं.13, जेतसर, तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर।
2. श्री विष्ण कुमार गोयल पुत्र श्री ओमप्रकाश (होलसेलर)
   मै0 विष्णु ट्रेडिंग कम्पनी, पुरानी धानमण्डी, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर।
   निवासी– वार्ड नं. 18, हाईलाइन ऑफिस के पास, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. श्री सूर्यप्रकाश पुत्र श्री ओमप्रकाश (निर्माता)
   मै0 गोपालजी एग्रो फूड प्रोडक्ट, 81, मीराबाई चौंक, कूपली, तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
   निवासी – वार्ड नम्बर 5, रीको एरिया, जी–81, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर

अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 धारा 26 धारा (2)(2)/51

निर्णय **दिनांक : 18.02.2019**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.02.2018 को दोपहर बाद 3.00 बजे श्री राजेश कुमार सहायक कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर वास्ते निरीक्षण फर्म **मै0** हरीशचंद दलीप कुमार, 6–तहबाजारी, जेतसर तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर पहुचे। वहां पर हरीशचंद पुत्र श्री सतपाल सिंधी उपस्थित मिला। उपस्थित को निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर निरीक्षण किया तो उपरोक्त दुकान में 10 सील्ड गत्ता पेंकिग डिब्बे **Pure Deshi Ghee (Dudh Malai)** के

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

प्रत्येक आधा लीटर (450 ग्राम) आमजन को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मिलावट/ नकली का शक होने पर नमूना जांच संख्या **के–893** के नमूनीकरण के लिये चार सील्ड गत्ता पैकिंग डिब्बे प्रत्येक आधा लीटर (450 ग्राम) **Pure Deshi Ghee (Dudh Malai)** सहित खरदे जिसकी कीमत 700/– रूपये (अखरे सात सौ मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री राजेश कुमा सहायक कर्मचारी, एवं श्री फूसाराम नायक के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ **Pure Deshi Ghee (Dudh Malai)** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की तो मै0 हरीशचंद दलीप कुमार, 6–तहबाजारी, जेतसर तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर के दुकान में गत्ते के पैकेटो खाद्य पदार्थ **Pure Deshi Ghee (Dudh Malai)** भरकर गत्ते के कार्टनों में आम जन के विक्रय हेतु रखी हुई थी। जिसमें से गत्ते के पैकेटो **Pure Deshi Ghee (Dudh Malai)** जांच के लिए खरीद की, **Pure Deshi Ghee (Dudh Malai)** की कीमत 700/–रू (अखरे रूपये सात सौ मात्र) अदा की एवं खरीदी रसीद तैयार की, तथा उपस्थित गवाहान श्री श्री राजेश कुमार सहायक कर्मचारी एवं श्री फूसराम नायक के हस्ताक्षर करवाये। फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता श्री हरीशचंद पुत्र श्री सतपाल सिंधी एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा **Pure Deshi Ghee (Dudh Malai)** की गत्ते के पैकेटो को 4–4 के चार समूल बनाकर चार नमूना भाग बनाए एवं उन पर लेबल चिपकाये । लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप **के–893** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया । मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/416/एक्ट/2018/511 दिनांक 22.03.2018 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

के–893 **Pure Deshi Ghee (Dudh Malai) अमानक स्तर SUBSTANDARD** खाद्य पदार्थ होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त हरीशचन्द पुत्र श्री सतपाल सिंधी मै0 हरीशचंद दलीप कुमार, 6–तहबाजारी, जेतसर तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Pure Deshi Ghee (Dudh Malai)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम **2006 धारा 26 धारा (2)(2)/51** के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 08.02.2019 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्तों श्री हरीशचंद दलीप कुमार,(नमूना विक्रेता) विष्णु कुमार गोयल (होलसेलर) सूर्यप्रकाश गोयल (निर्माता) ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **Pure Deshi Ghee (Dudh Malai)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **SUBSTANDARD** पाया गया है। अप्रार्थी श्री हरीशचंद दलीप कुमार,(नमूना विक्रेता) एवं विष्णु कुमार गोयल (होलसेलर) ने अपने जबाब में कथन किया कि प्रार्थी फर्म को उक्त घी के मिलावट के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। भविष्य में माल की गुणवता की जांच कर ही घी लिया जावेगा ऐसी गलती दुबारा नहीं होगी। अप्रार्थी सूर्यप्रकाश गोयल (निर्माता) ने अपने जबाब में कथन किया कि जिस घी का सैम्पल लिया जाता है वह घी गलती से चैक नहीं हो सका। भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नहीं होगी। इसका पूरा ध्यान रखा जावेगा। अप्रार्थीगण को भूल के लिये क्षमा किया जावे। अप्रार्थीगण के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Pure Deshi Ghee (Dudh Malai)** का सैम्पल के–873 जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/ 416/एक्ट/ 2018/511 दिनांक 22.03.2018 द्वारा **SUBSTANDARD** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा **2006 (2)(2)/51** के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **Pure Deshi Ghee (Dudh Malai)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **SUBSTANDARD** पाया गया है। अप्रार्थी श्री हरीशचंद दलीप कुमार,(नमूना विक्रेता) एवं विष्णु कुमार गोयल (होलसेलर) ने अपने जबाब में कथन किया कि प्रार्थी फर्म को उक्त घी के मिलावट के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। भविष्य में माल की गुणवता की जांच कर ही घी लिया जावेगा ऐसी गलती दुबारा नहीं होगी। अप्रार्थी सूर्यप्रकाश गोयल (निर्माता) ने अपने जबाब में कथन किया कि जिस घी का सैम्पल लिया जाता है वह घी गलती से चैक नहीं हो सका। भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नहीं होगी। इसका पूरा ध्यान रखा जावेगा। अप्रार्थीगण को भूल के लिये

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

क्षमा किया जावे। अप्रार्थीगण के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

इस प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में वर्णित उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात् नमूना विक्रेता से लेकर निर्माता तक एफएसएसए 2006 की धारा 31(1) के प्रकाश में, यह मानते हुए कि अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्तों श्री हरीशचंद दलीप कुमार,(नमूना विक्रेता) विष्णु कुमार गोयल (होलसेलर) सूर्यप्रकाश गोयल (निर्माता) पर **SUBSTANDARD Pure Deshi Ghee (Dudh Malai)** विक्रय करने पर धारा 26 **(2)(2)/51** के तहत संयुक्त रूप से शास्त्रि 15000/–रूपये (अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **Pure Deshi Ghee (Dudh Malai)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **Pure Deshi Ghee (Dudh Malai)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/2/19

(नख़तदीन बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर